रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 30 अप्रैल, 2003/10 वैशाख, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 10 अप्रैल, 2003

संख्या एस० एम० एल०-जैडपी-88-116.—यह कि जिला परिषद, शिमला के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित निर्वाचित 23 सदस्यों में से 12 सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 129 (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 128 के अन्तर्गत जिला परिषद् शिमला के अध्यक्ष श्री दुला राम हास्टा तथा उपाध्यक्ष श्री हेत राम गायत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु दिनांक 1-4-2003 को अधोहस्ताक्षरी के समुख प्ररूप-32 पर नोटिस प्रस्तुत किया गया था।

यह कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 1-4-2003 को प्ररूप-33 पर जारी नोटिस अनुसार समस्त निर्वाचित पदाधिकारियों की 10-4-2003 को प्रातः 11.00 बजे वचत भवन शिमला में बैठक बुलाई गई थी।

यह कि दिनांक 10-4-2003 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 23 निर्वाचित सदस्यों में से 13 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें अध्यक्ष श्री दुला राम हास्टा अनुपस्थित रहे तथा बैठक की वांछित गणपूर्ति पूर्ण होने पर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया अमल में लाई गई।

यह कि मतगणना के आधार पर श्री दुला राम हास्टा, अध्यक्ष व श्री हेत राम गायत्री, उपाध्यक्ष, जिला परिषद शिमला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 13-13 मत पड़े तथा प्रस्ताव के विरोध में कोई मत नहीं पड़ा । अत: उक्त दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध बैठक में लाया गया प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ, जिस कारण श्री दुला राम हास्टा, अध्यक्ष व श्री हेत राम गायत्री, उपाध्यक्ष, जिला परिषद् शिमला, आज दिनांक 10-4-2003 से अपने-अपने पद पर बने रहने का अधिकार खो चुके हैं । इसलिए जिला परिषद् शिमला के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद को तुरन्त प्रभाव से रिक्त समझा जाए ।

एस0 के0 बी0 एस0 नेगी,
उपायुक्त, शिमला ।

आज दिनांक 10-4-2003 को बचत भवन शिमला में प्रात: 11.00 बजे जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष श्री दुला राम हास्टा तथा उपाध्यक्ष श्री हेत राम गायत्री को उनके पद से हटाये जाने बारे लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्य शिमला की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही ।

बैठक में जिला परिषद् शिमला के वर्तमान में पदासीन 23 निर्वाचित सदस्यों में से निम्न सदस्यों ने भाग लिया:—

1. श्रीमती सावित्री कश्यप
2. श्रीमती सुनिता देवी
3. श्रीमती प्रेम लता चौहान
4. श्री सांई राम श्याम
5. श्री सामू राम
6. श्री विहारी लाल सेवनी
7. श्री केदार सिंह
8. श्री विजय सिंह विष्ट
9. श्री शिव राम चन्देल
10. श्री मंजीत ठाकुर
11. श्री चुनी लाल
12. श्री जोगिन्दर ठाकुर
13. श्री हेत राम गायत्री

आज की बैठक में उपाध्यक्ष सहित निर्वाचित सदस्यों की वांछित गणपूर्ति 13/23 रही जबकि श्री दुला राम हास्टा, अध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं हुये ।

बैठक की कार्यवाही निम्न प्रकार अमल में लाई गई:—

प्रस्ताव संख्या 1

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा

आज की बैठक में 11.00 बजे प्रात: गणपूर्ति पूर्ण होने के उपरान्त अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को सूचित किया गया कि जिला परिषद् के अध्यक्ष श्री दुला राम हास्टा तथा उपाध्यक्ष श्री हेत राम गायत्री को उनके पदों से हटाने के लिये अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 129(2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 128 के अन्तर्गत निम्न सदस्यों द्वारा प्ररूप 32 पर हस्ताक्षरित नोटिस उन्हें दिनांक 1-4-2003 प्राप्त हुआ था ।

1. श्रीमती सावित्री कश्यप
2. श्रीमती सुनिता देवी
3. श्रीमती प्रेम लता चौहान
4. श्री सांई राम श्याम
5. श्री सामू राम
6. श्री बिहारी लाल सेवगी
7. श्री केदार सिंह
8. श्री विजय सिंह विष्ट
9. श्री शिव राम चन्देल
10. श्री मंजीत ठाकुर
11. श्री चुनी लाल
12. श्री जोगिन्दर ठाकुर

उन्होंने यह भी बताया कि आज की बैठक के आयोजन हेतु दिनांक 1-4-2003 को नियम 131 के प्रावधान अनुसार प्रारूप 33 पर नोटिस जारी किये गये थे, जिसकी तामील रजिस्टर्ड पत्र व विशेष वाहक द्वारा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को करवाई जा चुका है। इसके पश्चात जिला परिषद् शिमला के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक में उपस्थित जिला परिषद् के उपाध्यक्ष सहित समस्त सदस्यों को चर्चा करने का अवसर प्रदान किया गया तथा तदोपरान्त 11.50 बजे पूर्वाह्न अविश्वास प्रस्ताव पर गुप्त मतदान की प्रक्रिया आरम्भ की गई, जो कि 12.15 बजे अपराह्न समाप्त हुई। इसके तुरन्त बाद मतो की गणना की गई। मतगणना के आधार पर श्री दुला राम हास्टा, अध्यक्ष व श्री हेत राम गायत्री, उपाध्यक्ष, जिला शिमला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 13-13 मत पड़े जबकि प्रस्ताव के विरोध में कोई मत नहीं पड़ा। अतः उक्त दोनों पदाधिकरियों के विरुद्ध बैठक में लाया गया प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ, जिस कारण श्री दुला राम हास्टा, अध्यक्ष व श्री हेत राम गायत्री, उपाध्यक्ष, जिला परिषद् शिमला आज दिनांक 10-4-2003 से अपने-अपने पद पर बने रहने का अधिकार खो चुके हैं। इसलिये जिला परिषद् शिमला के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद को तुरन्त प्रभाव से रिक्त समझा जायेगा।

हस्ताक्षरित/-
पीठासीन अधिकारी एवं उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला।

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना0) ठियोग

अधिसूचना

ठियोग, 10 अप्रैल, 2003

क्रमांक 311-384.—मैं, डी0 पी0 गर्ग उप-मण्डलाधिकारी (ना0) ठियोग, कोटखाई में कार्यारत उचित मूल्य की दूकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत आवश्यक वस्तुओं के वितरण को सुचारू रूप से चलाने हेतु सम्बन्धित उचित मूल्य की दुकान के सामने दिये गये पदाधिकारियों को सतकर्ता समिति के सदस्य को मनोनीत करने की अधिसूचना जारी करता हूं।

क्र0 सं0	उचित मूल्य की दुकान का नाम	सतर्कता समिति के पदाधिकारियों व सदस्य का नाम
1	2	3
1	कोटखाई	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत पान्दली (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल पान्दली (सदस्य) 3. मुख्याध्यापक उच्च पाठशाला कोटखाई (सदस्य)

1	2	3
2.	चुन्नी	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत बगाहर (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल बगाहर (सदस्य) 3. मुख्याध्यापक मा0 पा0 बगाहर (सदस्य)
3. 4.	क्यारी डकामल	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत क्यारी (अध्यक्ष) 2. मुख्य अध्यापक व0 मा0 पा0 क्यारी (सदस्य) 3. प्रधान महिला मण्डल क्यारी (सदस्य)
5. 6.	खनेटी रेयोघाटी	1. उप प्रधान ग्राम ग्राम पंचायत खनेटी (अध्यक्ष) 2. मुख्य अध्यापक वरिष्ठ मा0 पा0 खनेटी (सदस्य) 3. प्रधान महिला मण्डल खनेटी (सदस्य)
7. 8.	बनोल रार नगर	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत नगान (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल नगान (सदस्य) 3. मुख्य अध्यापक उच्च पाठशाला राम नगर (सदस्य)
9. 10.	रूड़ला पुड़ग	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत पुड़ग (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल पुड़ग (सदस्य) 3. मुख्या अध्यापक उच्च पाठशाला पुड़ग (सदस्य)
11.	बडैव	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत बनोग (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल पनोग (सदस्य) 3. मुख्य अध्यापक मिडल स्कूल पनोग (सदस्य)
12.	बखोल	1. उप प्रधात ग्राम पंचायत बखोल (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल बखोल (सदस्य) 3. मुख्य अध्यापक मिडल स्कूल बखोल (सदस्य)
13. 14.	हलाईला प्रेम नगर	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत प्रेम नगर (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल प्रेम नगर (सदस्य) 3. मुख्य अध्यापक उच्च पाठशाला महासु (सदस्य)
15.	महासू	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत महासू (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल महासू (सदस्य) 3. मुख्य अध्यापक उच्च पाठशाला महासू (सदस्य)
16.	देवगढ़	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत देवगढ़ (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल देवगढ़ (सदस्य)
17.	हिमरी	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत हिमरी (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल हिमरी (सदस्य) 3. मुख्याध्यापक उच्च पाठशाला हिमरी (सदस्य)
18	गुम्मा	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत गुम्मा (अध्यक्ष)

1	2	3
		2. प्रधान महिला मण्डल गुम्मा (सदस्य) 3. मुख्याध्यापक उच्च पाठशाला (सदस्य)
19.	रतनाड़ी	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत रतनाड़ी (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल रतनाड़ी (सदस्य) 3. मुख्याध्यापक उच्च पाठशाला रतनाड़ी (सदस्य)
20.	बाघी	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत बाघी (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल बाघी (सदस्य) 3. मुख्याध्यापक उच्च पाठशाला बाघी (सदस्य)
21. 22.	चमन कलबोग	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत कलबोग (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल कलबोग (सदस्य) 3. मुख्याध्यापक उच्च पाठशाला कलबोग (सदस्य)
23.	थरोला	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत थरोला (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल थरोला (सदस्य) 3. प्रधान युवक मण्डल थरोला (सदस्य)
24.	गरावग	1. उप प्रधान ग्राम पंचायत गरावग (अध्यक्ष) 2. प्रधान महिला मण्डल गरावग (सदस्य) 3. मुख्याध्यापक उच्च पाठशाला गरावग (सदस्य)

सतर्कता समितियों के निम्न कर्त्तव्य एवं अधिकार होंगे :

(क) उचित मूल्य की दुकानों पर समयानुसार आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो रही है ।
(ख) उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना ।
(ग) उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उचित दर व मात्रा अनुसार उपलब्ध करवाना ।

हस्ताक्षरित/-
उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
ठियोग, जिला शिमला ।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन, 29 मार्च, 2003

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (5) 50 (11)/90-1618-27.—यह कि जिला सिरमौर की ग्राम पंचायतों के निम्नवर्णित पदाधिकारियों के त्याग-पत्र प्राप्त हुए हैं:—

क्र0 स0	पदाधिकारियों का नाम, पद, वार्ड नं0, ग्राम पंचायत व विकास खण्ड का नाम	त्याग-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	त्याग-पत्र के कारण
1	2	3	4
1.	श्री सुभाष चन्द, सदस्य, वार्ड नं0 5-मानल (अ0जा0), ग्राम पंचायत, भूटली मानल, विकास खण्ड संगडाह।	27-3-2003	हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा

1	2	3	4
			122 (1) में उक्त अधिनियम के वर्ष 2000 के 18वें संशोधन की धारा 19 द्वारा अन्त: स्थापित खण्ड (ण) के अन्तर्गत अयोग्यता के कारण त्याग-पत्र प्रस्तुत किया है।
2.	श्री मुनणी खान, सदस्य, वा0 नं0 1-पल्होडी-I (अनारक्षित), ग्राम पंचायत, पल्होडी, विकास खण्ड, पांवटा साहिब।	25-3-2003	-यथोपरि-
3.	श्री गुजाब सिंह, सदस्य, वा0नं0 1-शरली मानपुर-1 (अनारक्षित), ग्राम पंचायत, शरली मानपुर, विकास खण्ड पांवटा साहिब।	26-3-2003	-यथोपरि-
4.	श्री हीरा सिंह, सदस्य, वा0 नं0 6 डाहर-1 (अनारक्षित), ग्राम पंचायत जरवा जूनैली, विकास खण्ड शिलाई।	24-3-2003	-यथोपरि-
5.	श्री जागर सिंह, सदस्य, वा0 नं0 1 वागना (अनारक्षित), ग्राम पंचायत, कोटा पाब, विकास खण्ड शिलाई।	26-3-2003	-यथोपरि-
6.	श्री जगडीश चन्द, सदस्य, वा0 नं0 3 गुण्डाहां (अ0जा0) ग्राम पंचायत, क्यारी गुण्डाहां, विकास खण्ड शिलाई।	24-3-2003	-यथोपरि-
7.	श्री नरिया राम, सदस्य, वा0 नं0 4 -लानी बरोड-1 (अनारक्षित), ग्राम पंचायत, फोटी बौंच, विकास खण्ड शिलाई।	10-3-2003	-यथोपरि-
8.	श्रीमती लीला देवी, सदस्य, वा0नं0 2 -नाया-1 (महिला), ग्राम पंचायत नाया, विकास खण्ड शिलाई।	24-3-2003	-यथोपरि-
9.	श्री चमेल सिंह, सदस्य, वा0नं0 6 झकाण्डो-4, ग्राम पंचायत झकाण्डों, विकास खण्ड शिलाई।	24-3-2003	-यथोपरि-

अत: मैं, एम0 एस0 नेगी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपरवर्णित पदाधिकारियों के त्याग-पत्र स्वीकार करता हूं।

नाहन, 31 मार्च, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0 एस0 एम0 आर0(5)50(11)/90-1678-80.—यह कि जिला सिरमौर की ग्राम पंचायतों के निम्न वर्णित पदाधिकारियों के त्याग पत्र प्राप्त हुए है :—

	पदाधिकारी का नाम, पद, वा0 नं0, ग्राम पंचायत व विकास खण्ड का नाम	त्याग पत्र प्रस्तुत करने की तारीख	त्याग पत्र के कारण
	2	3	4
	श्रीमती उर्मिला देवी, सदस्य, वा0 नं0 2, कलाथा-2 (महिला), ग्राम पंचायत बढाना, विकास खण्ड, पांवटा साहिब ।	25-3-2003	हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) में उक्त अधिनियम के वर्ष 2000 के 18वें संशोधन अधिनियम की धारा 19 द्वारा अन्तः स्थापित खण्ड "ण" के अन्तर्गत अयोग्यता के कारण त्याग-पत्र प्रस्तुत किया है ।
2.	श्री नारायण सिंह, सदस्य, वा0 नं0 1, कलाथा-1 (अ0 जा0), ग्राम पंचायत बढाना, विकास खण्ड पांवटा साहिब ।	25-3-2003	-यथोपरि-
3.	श्री सुरेश चन्द, सदस्य, वा0 नं0 2, कण्डला अदवाड-1 (अनारक्षित) ग्राम पंचायत, डाण्डा, विकास खण्ड, पांवटा साहिब ।	25-3-2003	-यथोपरि-

अतः मैं, एम0 एस0 नेगी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हि0 प्र0, हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 139 तथा हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपरवर्णित तीनों पदाधिकारियों के त्याग-पत्र स्वीकार करता हूं ।

नाहन, 3 अप्रैल, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0 एम0 एम0 आर0(4)33/2001-1797-1821.—यह कि पंचायत समिति, नाहन के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित 17 कुल 17 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 129(2) तथा हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1977 के नियम 128 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के समक्ष श्रीमती उमा रानी, अध्यक्ष व श्री हेम चन्द, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति, नाहन, के जिला सिरमौर के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु निर्धारित प्रपत्र संख्या 32 पर नोटिस दिनांक 22 मार्च, 2003 को प्रस्तुत किया ।

यह कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु दिनांक 24 मार्च, 2003 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 3 अप्रैल, 2003 को प्रातः 10.00 बजे पंचायत समिति, नाहन के बैठक कक्ष में बैठक बुलाए जाने हेतु सभी 17 सदस्यों को नोटिस जारी किए गये ।

यह कि दिनांक 3 अप्रैल, 2003 को बुलाई गई बैठक में 17 सदस्यों में से कुल 9 सदस्य उपस्थित हुए, जिसके फलस्वरूप कोरम पूर्ण होना पाया गया । कोरम पूर्ण होने के फलस्वरूप अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के

विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई । उपस्थित सभी 9 सदस्यों द्वारा श्रीमती उमा रानी, अध्यक्ष व श्री हेम चन्द, उपाध्यक्ष पंचायत समिति, नाहन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पंचायत समिति, नाहन के पद को रिक्त घोषित कर दिया गया ।

एम0 एस0 नेगी,
पीठासीन अधिकारी,
जिला पंचायत अधिकारी,
जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0) ।

कार्यालय, उपायुक्त सिरमौर, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन-713001, 5 अप्रैल, 2003

संख्य: पी0 एस0-मिस-27/64-1897-1905.—यह कि परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जिला सिरमौर द्वारा किये गये प्राथमिक जांच के दौरान श्री भव सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत बडौल, विकास खण्ड सगंडाह, जिला सिरमौर, निम्न मदों में राशि दुरूपयोग एवं छलहरण में संलिप्त पाये गये ।

आरोप संख्या-1 :

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत श्रीमती हीरो देवी पत्नी श्री सूरत सिंह, ग्राम बडौल द्वारा अपने हल्फनामा में शिकायत पत्र प्रस्तुत किया कि दिनांक 22-11-2002 को आवास निर्माण हेतू राशि भुगतान किया जायेगा किन्तु प्रधान द्वारा उपरोक्त दिनांक को कोई भी अदायगी नहीं की गई जबकि प्रधान द्वारा इस राशि का भुगतान न कर राशि का दुरूपयोग किया गया । इसी प्रकार इन्दिरा आवास योजना लाभार्थी श्री मनी राम और पूण्डी देवी की राशि बैंक से निकाली गई और उसका भुगतान भी नहीं किया गया है । जैसा कि उनके ब्यानात से स्पष्ट होता है श्री राम चन्द्र पुत्र श्री बीजा राम, निवासी ग्राम बडौल द्वारा यह ब्यान किया है कि वर्ष 2002 अगस्त में मुझे इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मु0 5000/- रुपये की प्रथम किस्त दी जानी थी किन्तु प्रधान द्वारा मुझे केवल मु0 4000/- रुपये ही दिये गये । श्री सन्म राम पुत्र श्री जालम सिंह द्वारा, ब्यान किया है, कि उन्हें इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मु0 6000/- रुपये की किश्त दी जानी थी किन्तु प्रधान द्वारा उन्हें केवल मु0 4000/- रुपये ही दिये गयें और पावती मु0 6000/- रुपये की ली गई । इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रधान द्वारा लाभार्थियों को राशि भुगतान में अनियमितता की है । क्योंकि प्रधान द्वारा समस्त चैक अपने नाम से ही काटे गये है, जबकि समस्त लाभार्थियों के नाम से चैक काटे जाने चाहिये थे । प्रधान द्वारा राशि अदायगी में हेराफेरी कर राशि का दुरुपयोग व छलहरण किया गया है । जैसा कि प्रधान ने अपने ब्यान प लाभार्थियों के ब्यानात के मिलान करने से स्पष्ट होता है ।

आरोप संख्या-2 :

विकास कार्य में अनियमितता

(1) निर्माण सिचाई बैंक बागीया हेतू मु0 20,000/-रुपये प्रधान द्वारा दिनांक 27-8-2002 को रोकड़ अनुसार पेशगी के रूप में अपने पास रखे गयें हैं इस राशि का आज दिन तक अपने पास रख कर दूरुपयोग व छलहरण किया जा रहा है ।

(2) निर्माण स्टोरेज वैंक काण्डो निर्माण हेतु प्रधान द्वारा रोकड़ अनुसार दिनांक 3-12-2002 को मु0 25,000/- रुपये पेशगी के रूप में प्राप्त किये गये है। इस राशि को निजी प्रयोग कर राशि का दुरूपयोग किया जा रहा है

(3) निर्माण दीवार मिडिल स्कूल बडौल हेतु रोकड़ अनुसार दिनांक 8-8-2002 को मु0 10,000/- रुपये व्यय दर्शाया गया है किन्तु जांच अधिकारी के मौका पर जांच करने पर पाया गया कि इस दीवर का निर्माण ही नहीं हुआ है इस राशि का प्रधान द्वारा पूर्ण रूप से छनहरण किया गया है ।

(4) निर्माण सिंचाई कूहल लागत हेतु मु0 15,000/- रुपये रोकड़ अनुसार दिनांक 7-3-2002 को निकासी कर व्यय किया गया किन्तु इस कार्य को प्रधान द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है जिस कारण कार्य पूर्ण न होने की दशा में राशि का दुरूपयोग हुआ है।

आरोप संख्या 3 :

राशनकार्ड तथा गृहकर वर्ष 2002-03 की वसूली प्रधान द्वारा अनाधिकृत रूप से कर राशि को अपने पास रखा गया है । इसके अतिरिक्त मानदेय राशि बैंक से निकाल कर मानदेय अदायगी न करके यह राशि भी प्रधान द्वारा अपने पास ही रखी गई है। राशनकार्ड तथा गृहकर की वसूली ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी द्वारा की जाती है। राशि की वसूली बिना रसीद के की गई है, जिससे लगभग मु0 6969/- रुपये की वसूली की गई है । जैसाकि ग्रामवासी बडौल के ब्यान से स्पष्ट होता है कि इस राशि को प्रधान के पास होने की पुष्टि ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी ने अपने ब्यान में स्पष्ट की है । इस प्रकार राशनकार्ड तथा गृहकर वसूली की राशि का प्रधान द्वारा दुरुपयोग किया गया है ।

अतः भव सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत बडौल उपरोक्त आरोप संख्या 1 से 3 में संलिप्त पाये गये हैं । अतः श्री भव सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत बडोल प्रधान जैसे गरिमा मय पद पर बने रहने योग्य नहीं है ।

अतः मैं, ओंकर शर्मा (भा0प्र0से0) उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री भव सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत बडौल, विकास खण्ड संगडाह, जिला सिरमौर को तुरन्त प्रधान पद से निलम्बित करने के आदेश जारी करता हूं । और उन्हें यह भी आदेश दिये जाते हैं कि यदि उनके पास ग्राम पंचायत के राशि, रिकार्ड है तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी के पास सौंप दें।

सिरमौर, 9 अप्रैल, 2003

संख्या पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (9) 22/97-2025-35.—यह कि श्रीमती कमलेश देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत करगाणू, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर निम्न दर्शाये गये विकास कार्यों में अनियमितता करने में दोषी पाई गई :—

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना :

1. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अन्तर्गत निर्माण खुरली जजांह हेतु मु0 4363/- रुपये का प्रावधान ग्राम पंचायत ने रखा था। इस राशि को प्रधान द्वारा रोकड़ पृष्ठ 2, दिनांक 28-3-2002 अनुसार 4363/- रुपये का व्यय दर्शाया गया किन्तु कनिष्ठ सहायक की मुल्यांकन रिपोर्ट अनुसार इस कार्य को आज तक नहीं किया। इस प्रकार राशि का स्पष्ट रूप से गबन किया गया है।

2. निर्माण खुरली बोहल हेतु जवाहर ग्राम समृद्धि योजना रोकड़ पृष्ठ 3, दिनांक 28-3-2002 पर मु0 4528/- रुपये का व्यय दर्शाया है किन्तु मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इस कार्य पर 3580/- रुपये व्यय हुआ है। इस कार्य में मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार मु0 948/- रुपये का छलहरण व दुरुपयोग पाया गया।

3. निर्माण खुरली हिवोण पर मु0 4832/- रुपये का व्यय दर्शाया है जबकि मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार इस कार्य पर केवल मु0 2647/- रुपये ही व्यय पाया गया। मु0 2185/- रुपये का छलहरण व दुरुपयोग पाया गया।

4. निर्माण खुरली पलाशला हेतु मु0 3998/- रुपये रोकड़ अनुसार व्यय दर्शाया है किन्तु मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार केवल मु0 1728/- रुपये का कार्य पाया गया। इसमें मु0 1648/- रुपये का छलहरण व दुरुपयोग पाया गया।

5. निर्माण खुरली (चबूतरा के साथ) हेतु रोकड़ पृष्ठ 3, दिनांक 28-3-2002 अनुसार मु0 5587/- रुपये का व्यय दर्शाया है किन्तु मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार इस पर केवल 3580/- रुपये ही व्यय होना पाया गया। अतः मु0 2007/- रुपये की राशि का छलहरण व दुरुपयोग पाया गया।

6. निर्माण खच्चर रास्ता हेतु मु0 26,494/- रुपये रोकड़ पृष्ठ 46, दिनांक 26-3-2001 द्वारा व्यय दर्शाया है किन्तु मौके पर केवल 3284/- रुपये का ही कार्य पाया गया है। इस राशि का स्पष्ट रूप से छलहरण व दुरुपयोग किया गया है।

सामान्य रोकड़ से :

7. निर्माण प्रा0 पा0 भवन हेतु मु0 13,000/- रुपये रोकड़ पृष्ठ 11, दिनांक 29-5-2002 को पेशी के रूप में आज दिन तक रखा गया है जबकि प्रधान द्वारा इस राशि को लम्बे समय तक पेशी के रूप में अपने पास रख कर राशि का स्पष्ट रूप से छलहरण व दुरुपयोग किया पाया गया।

8. निर्माण वर्षाशालिका थनेच हेतु मु0 3000/- रुपये पेशी के रूप में दिनांक 11-11-2002 को प्राप्त किया गया व इस राशि का भी प्रधान द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।

9. निर्माण आंगन वाड़ी हेतु मु0 10,000/- रुपये प्रधान द्वारा पेशी के रूप में दिनांक 11-11-2002 से अब तक अपने पास रखा है। इस राशि का भी छलहरण व दुरुपयोग किया जा रहा है।

अतः मैं, ओंकार शर्मा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त सिरमौर, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीमती कमलेश देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत करगाण विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर को प्रधान पद से तुरन्त निलम्बित करता हूं और उन्हें यह भी आदेश देता हूं कि यदि उनके पास पंचायत की सम्पत्ती, राशि या रिकार्ड हो तो उसे तुरन्त ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी को सौंपे।

ओंकार शर्मा
उपायुक्त,
जिला सिरमौर स्थित नाहन, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

सोलन, 29 मार्च, 2003

संख्या एस0 एन0 एन0-3-92 (पंच)/92-III-1922-28.—खण्ड विकास अधिकारी धर्मपुर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने उनके पत्र संख्या डी0 बी0 डी0 (पंच) 562, दिनांक 21-3-2003 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड से श्री शेर सिंह, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं0 15, टकसाल का निधन 1-2-2003 को हो गया है। जिसके फलस्वरूप उनका पद रिक्त हो गया है।

अतः मैं, भरत खेड़ा, उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) व (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थान को उपरोक्त दर्शाई गई तिथि से रिक्त घोषित करता हूं।

सोलन, 29 मार्च, 2003

संख्या सोलन-3-76 (पंच)/2003-1-1929-35.—श्रीमती मीना देवी, सदस्या ग्राम पंचायत पट्टाबरावरी, वार्ड नं0 1, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने अपने पत्र दिनांक 18-3-2003 जो कि उपायुक्त महोदय तथा जिला पंचायत अधिकारी सोलन, को सम्बोधित है, में दो से अधिक सन्तान होने के कारण स्वेच्छा से अपना त्याग-पत्र दिया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ण) के अन्तर्गत सदस्या पद पर रहने के अयोग्य हो गये हैं।

अतः मैं, भरत खेड़ा (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अधीन प्राप्त है, श्रीमती मीना देवी सदस्या, ग्राम पंचायत पट्टाबरावरी, वार्ड नं0 1, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को तत्काल सदस्य के पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 131 (1) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत पट्टाबरावरी, विकास खण्ड सोलन, के सदस्य पद को रिक्त घोषित करता हूं।

सोलन, 29 मार्च, 2003

संख्या सोलन-3-76 (पंच)/2003-1936-42.—यह कि श्री पवन कुमार सदस्य, ग्राम पंचायत मजौली, वार्ड नं0 6, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत संख्या सोलन-3-76(पंच)/2003-1151-56, दिनांक 5-3-2003 द्वारा 15 दिनों के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे। क्यों न उन्हें हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम संशोधित धारा 122 के खण्ड (ण) के अन्तर्गत सदस्य पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाए।

क्योंकि श्री पवन कुमार सदस्य, ग्राम पंचायत मजौली, वार्ड नं0 6, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश से कारण बताओ नोटिस पर निर्धारित अवधि में कोई स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि कारण बताओ नोटिस के बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना है और उसमें लगाए गए आरोप सही हैं। पंचायत पदाधिकारियों के दो से अधिक सन्तान होने पर अयोग्यता का प्रावधान 8 जून, 2000 को पंचायती राज अधिनियम में लाया गया। परन्तु इस प्रावधान पर अमल की छूट 8 जून, 2001 तक दी गई थी। इस प्रकार वर्णित प्रावधान में प्रत्येक पंचायती राज अधिनियम जिसके 8 जून, 2001 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान उत्पन्न होती है, वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में श्री पवन कुमार सदस्य, ग्राम पंचायत मजौली, वार्ड नं0 5, विकास खण्ड नालागढ़, जिला

सोलन, हिमाचल प्रदेश का सदस्य पद पर पदासीन रहना हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, भरत खेड़ा (भा0प्र0से0) उपायुक्त सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अधीन प्राप्त है, श्री पवन कुमार सदस्य, ग्राम पंचायत मजौली, वार्ड नं0 6, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को तत्काल सदस्य के पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 131(1) के प्रावधान के अनुपालना में ग्राम पंचायत मजौली, वार्ड नं0 6, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

सोलन, 31 मार्च, 2003

संख्या : सोलन-3-76 (पंच) भाग-1/2003/120-26.—यह कि श्री अमर सिंह सदस्य, ग्राम पंचायत नरीकलां, वार्ड नं0 3, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन (हि0प्र0) को इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत संख्या सोलन-3-76 (पंच)/2003-1139-44, दिनांक 5-3-2003 द्वारा 15 दिनों के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे । क्यों न उन्हें हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम को संशोधित धारा-122 के खण्ड (ण) के अन्तर्गत सदस्य के पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाये ।

क्योंकि श्री अमर सिंह, सदस्य, ग्राम पंचायत नेरीकलां, वार्ड नं0 3, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन (हि0 प्र0) से कारण बताओ नोटिस पर निर्धारित अवधि में कोई स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । जिससे यह स्पष्ट होता है कि कारण बताओ नोटिस के बारे में उन्हें कुछ नहीं कहा है और उसमें लगाए गए आरोप सही है । पंचायत पदाधिकारियों को दो से अधिक सन्तान होने पर अयोग्यता का प्रावधान 8 जून, 2000 को पंचायती राज अधिनियम में लाया गया । परन्तु इस प्रावधान पर अमल की छूट 8 जून, 2001 तक दी गई थी । इस प्रकार वर्णित प्रावधान से प्रत्येक पंचायती राज अधिनियम जिसके 8 जून, 2001 के पश्चात् दो सन्तान से अधिक सन्तान उत्पन्न होती है । वह अपने पद पर बने रहने के आयोग्य है । उधर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में श्री अमर सिंह, सदस्य वार्ड नं0 3, ग्राम पंचायत नेरीकलां, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन (हि0प्र0) का सदस्य पद पर पदासीन रहना हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धृत प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, भरत खेड़ा (भा0प्र0से0), उपायुक्त सोलन, जिला सोलन उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, की धारा 122(1) के खण्ड (ण) व 122(2) के अधीन प्राप्त है । श्री अमर सिंह, सदस्य, वार्ड नं0 3, ग्राम पंचायत नेरीकलां, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन (हि0प्र0) को तत्काल सदस्य पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं । तथा हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम की धारा 131(1) के प्रावधान अनुपालनों में ग्राम पंचायत नेरीकलां, वार्ड नं0 3, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन (हि0प्र0) के सदस्य पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

सोलन, 7 अप्रैल, 2003

संख्या सोलन 3-76 (पंच)/2003-128-34.—यह कि श्री सुरेन्द्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं0 29, राजपुरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत संख्या सोलन 3-76 (पंच)/2002-1721-26, दिनांक 20-3-2003 द्वारा 15 दिनों के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए थे । क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, (संशोधित) धारा 122 के खण्ड (ण) के अन्तर्गत सदस्य पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुए पद को रिक्त घोषित किया जाए ।

क्योंकि श्री सुरेन्द्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं0 29 राजपुरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में कारण बताओ नोटिस पर निर्धारित अवधि में कोई स्पष्टीकरण इस कार्यालय

में प्राप्त नहीं हुआ है । जिससे यह स्पष्ट होता है कि कारण बताओ नोटिस के बारे में उन्हें कुछ नहीं कहना है । और उसमे लगाए गए आरोप सही हैं । पंचायत पदाधिकारियों के दो से अधिक सन्तान होने पर अयोग्यता का प्रावधान 8 जून, 2000 को पंचायती राज में लाया गया । परन्तु इस प्रावधान पर अमल की छूट 8 जून, 2001 तक दी गई थी । इस प्रकार वर्णित प्रावधान में प्रत्येक पंचायती राज अधिनियम जिसके 8 जून, 2001 के पश्चात् दो से अधिक सन्तान उत्पन्न होती है वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य हैं । ऊपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में श्री सुरेन्द्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं0 29, राजपुरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का सदस्य पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उक्त प्रावधानों के प्रतिकूल होगा ।

अतः मैं, भरत खेड़ा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) 122 (2) के अधीन प्राप्त हैं । श्री सुरेन्द्र सिंह, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं0 29 राजपुरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश की तत्काल सदस्य पद पर आसीन रहने के अयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 131 (1) के प्रावधान की अनुपालना में पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नं0 29 राजपुरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

भरत खेड़ा,
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।